



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/6853-यू/2019/

दिनांक :

आदेश

श्रीमती अरविन्द्र कौर, कनिष्ठ सहायक, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, प.क., श्रीगंगानगर को दिनांक 15.03.2019 से 28.03.2019 तक (14 दिवस) विदेश यात्रा लैटविया (यूरोप) जाने की अनुमति निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 25/02/19

क्रमांक :- ई-18/एम/6853-यू/2019/563

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, प.क., श्रीगंगानगर
3. श्रीमती अरविन्द्र कौर, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर